अपील सूचना अधिकार संख्या 04/2019 (RCMS 2019/00006) श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), श्रीगंगानगर

27.11.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए। उसे सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस. डी.एम.), श्रीगंगानगर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके 06 बन्दुओं पर सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी ने उसे बिन्दुवार सूचनाएं नहीं दी है जबकि 30 दिवस के अन्तर्गत उसे सूचना उपलब्ध करवाना जाना आवश्यक था। इसलिए उसकी अपील स्वीकार की जाकर वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की एवं सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत धारा 20(1) व (2) के अन्तर्गत 25000/– शास्ति अधिरोपित करने की कृपा करें एवं उचित हर्जाना दिलवाया जावे।

मैनें प्रार्थी उक्त तर्कों पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 22.10.2018 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थीः

1. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगागनर का पत्रांक 3927–28 दिनांक 10.08.2018 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति पंजिका के क्रमांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
3. पत्र प्राप्ति से लेकर इस आवेदन सूचना का अधिकार का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस जिस अधिकारी या कर्मकार द्वारा की गई है, उस अधिकारी व कर्मकार का नाम व पद की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

4. प्रार्थी के पत्रांक पर कार्यवाही न करने के नियम की सूचना।
5. पत्र में वर्णित दो बिन्दुओं पर आप द्वारा जो कार्यवाही की गई है, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।
6. लोक सभा चुनाव 2014 मे बी.एल.ओ. या अन्य अधिकारी लेना व जिस विभाग से अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र देना होता है उस नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में सहायक **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर** ने अपने पत्रांक सूकाअ/2018/4164 दिनांक 18.12.2018 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

क्र.सं.	वांछित सूचना	प्रतिउत्तर
1	उप जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगागनर का पत्रांक 3927–28 दिनांक 10.08.2018 आपके कार्यालय में पहुंचने की तारीख व पत्र प्राप्ति पंजिका के क्रमांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।	प्राप्ति क्रमांक 2790 दिनांक 14.08.2016
2	पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।	लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्यक्षेत्र से बाहर है चूंकि खोजे गये तथ्यों के आधार पर नई सूचना बनाकर दिया जाना सूचना के अधिकार के तहत नहीं आता है।
3	पत्र प्राप्ति से लेकर इस आवेदन सूचना का अधिकार का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही जिस जिस अधिकारी या कर्मकार द्वारा की गई है, उस अधिकारी व कर्मकार का नाम व पद की सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।	
4	प्रार्थी के पत्रांक पर कार्यवाही न करने के नियम की सूचना।	
5	पत्र में वर्णित दो बिन्दुओं पर आप द्वारा जो कार्यवाही की गई है, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।	
6	लोक सभा चुनाव 2014 मे बी.एल.ओ. या अन्य अधिकारी लेना व जिस विभाग से अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र देना होता है उस नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।	

-Sd-
सहायक लोक सूचना अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं का जवाब उक्त पत्र के द्वारा दिया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की **धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है** जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस दृष्टिकोण से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिया गया उक्त उत्तर सही है,** उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर